कार्यालय प्राचार्य, शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन

नैक द्वारा A++ ग्रेड प्राप्त
DST-FIST सहायतित
Infront of Polytechnic College, Dewas Road Ujjain
Website : www.mvmujjain.org
Email: madhavsciencecollegeujjain@gmail.com
Ph.No. : 07342511803

अतिथि विद्वान हेतु अर्हता एवं चयन हेतु मापदण्ड

अर्हता एवं चयन हेतु मापदण्डः चयन प्रक्रिया पूर्णतः मेरिट के आधार पर होगी। मेरिट अंकों का निर्धारण यू. जी.सी. के नवीनतम मापदण्डों के अनुसार होगा। आवश्यक अर्हता, मापदंड एवं अधिभार संबंधी जानकारी संस्था के पोर्टल/वेबसाइट www.mvmujjain.org पर उपलब्ध है। संबंधित विषय में यूजीसी मानदंड पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त न होने पर संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्रीधारक को प्रावीण्य क्रम के अनुसार आमंत्रित किया जाएगा।

सामान्य :

- आवेदक की आयु सीमा अधिकतम 65 वर्ष रहेगी।
- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी नवीनतम मापदण्डों के अनुसार होगी संबंधित विषय में यूजीसी मानदंड पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त न होने पर संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्रीधारक को प्रावीण्य क्रम के अनुसार आमंत्रित किया जाएगा।
- वांछित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी एवं म.प्र. के मूल निवासी इस व्यवस्था के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।

आमंत्रण हेतु वरीयता निर्धारण :

अतिथि विद्वान के आमंत्रण हेतु वरीयता का क्रम निम्नानुसार रहेगाः

श्रेणी :– 1 संबंधित विषय में पीएच.डी. एवं नेट/सेट

श्रेणी :– 2 संबंधित विषय में पीएच.डी. अथवा नेट/सेट

संबंधित विषय में यूजीसी मानदंड पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त न होने पर संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्रीधारक को प्रावीण्य क्रम के अनुसार आमंत्रित किया जाएगा।

अनुभव हेतु अंक : – अतिथि विद्वानों को वरीयता देने के लिए उनके द्वारा पंजीयन के समय दर्ज एवं सत्यापित अनुभव के अंकों को लिया जाएगा। ये अंक अतिथि विद्वान द्वारा आवेदन के समय पोर्टल पर दर्ज किये जाएंगे, जिन्हें असत्य पाए जाने पर आमंत्रण ग्रहण नहीं कराया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राचार्य द्वारा प्रदत्त पत्रक के अनुसार कार्य दिवसों को ही अनुभव के लिए जोड़ा जाएगा। यह और भी स्पष्ट किया जाता है कि शासकीय महाविद्यालयों में किए गए शिक्षण कार्य के अनुभव को ही अधिभार के रूप में शामिल किया जाएगा। यह अधिभार अधिकतम 05 वर्ष के अनुभव के लिए 20 अंक तक होगा। एक अकादमिक सत्र में 151 से 220 कालखण्ड के मध्य चार अंक तथा 101 से 150 कालखण्ड के मध्य तीन अंक, 51 से 100 कालखण्ड के मध्य दो अंक एवं 50 एवं उससे कम कालखण्ड होने पर एक अंक दिया जाएगा। संस्कृत महाविद्यालयों के

अराजपत्रित शिक्षकों हेतु शिक्षकों हेतु 100 कार्य दिवस हेतु 2 अंक एवं 50 कार्य दिवस एवं उससे कम पर 1 अंक दिया जाएगा। समस्त श्रेणियों के आमंत्रण के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को (क्रीमी लेयर छोड़कर) सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा–निर्देश के अनुरूप स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्तांक प्रतिशत का 10 प्रतिशत अधिभार देय होगा। इसी प्रकार निःशक्तजन अभ्यर्थियों को भी स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्तांक प्रतिशत का 10 प्रतिशत अधिभार दिया जाएगा।

मेरिट अंकों की गणना : स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत में से 50 घटाया जाएगा तथा अधिभार जोड़ा जाएगा। उदा. के लिए किसी आवेदक ने स्नातकोत्तर में 75% अंक प्राप्त किए हैं, अनुसूचित जाति का है, निःशक्तजन भी है एवं 05 वर्षों का अनुभव है, तो उसके मेरिट अंक निम्नानुसार होंगेः स्नातकोत्तर 25 अंक अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए अधिभार 7.5 निःशक्तजन के लिए अधिभार -7.5 अनुभव का अधिभार -20 कुल मेरिट का अंक =60

वरीयता का निर्धारण : सर्वप्रथम श्रेणी की वरीयता मान्य होगी अर्थात श्रेणी -1 के अतिथि विद्वान को सर्वोच्च वरीयता होगी। श्रेणी समान होने पर मेरिट अंकों की वरीयता देखी जाएगी। श्रेणी तथा मेरिट अंक समान होने पर अधिक आयु वाले अतिथि विद्वान को वरीयता दी जाएगी। आमंत्रण पत्र प्राचार्य द्वारा सचिव जनभागीदारी समिति की हैसियत से जारी किया जाएगा। आवेदन उपरांत संबंधित चयनित आवेदक यदि समय सीमा में आमंत्रण स्वीकार करने हेतु कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। महाविद्यालय में आमंत्रण के आधार पर कार्यरत अतिथि विद्वान यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उसका आमंत्रण स्वतः समाप्त माना जायेगा।

प्राचार्य एवं सचिव जनभागीदार